न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर

मिसल नम्बर 73/2022

1. सुभाष पुत्र ग्यारसीलाल
2. युवराज पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजबपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.........वादीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र भौला
2. भगवान सहाय पुत्र भोला
3. फूली देवी पत्नी भौला
4. रीना पुत्री भौला

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजबपुरा तहसील जमवारामगढ

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
6. उप पंजीयक जमवारामगढ

....
प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामस्वरूप शर्मा वकील वादीगण
3. पेरोकार सरकार

दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

अन्तिम निर्णय

दिनांक 31/7/23

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अजबपुरा पटवार मण्डल धौला तहसील जमवारामगढ मे कृषि भूमि स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 64 रकबा 1.8300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 95रकबा 0.0400, हैक्टेयर कुल रकबा 1.8700हैक्टेयर जिसमे वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण का संयुक्त हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा सभी सहखातेदार पुर्व में हो रख आपसी मनवट एवसहुलियत से काश्त करते तथा अपने हिस्से पर काबिज है जिसका अभी विधिक रूप से तकासमा नहीं हुआ है अतः उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त के आधार व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्साअनुसार सरस नरस के आधार पर खाता कायम किया जाकर वादीगण का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगणो रजिस्टर डाक द्वारा तलवी नोटिस जारी कर तलब किया गया । तथा प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2022 फॉलोअप कैम्प ग्राम पंचायत गठवाडी मे मे प्रतिवादीगणो को आवाज लगवाइ गई इस के उपरान्त भी कोइ उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूध दिनांक 17.6.2022 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर कैम्प में उपस्थत मोतबिवान की उपस्थित में प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार जमवारामगढ से वादग्रस्त भूमि के कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये । तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्र कमांक एलआर/23/1734 दिनांक 7.6.2023 द्वारा कुर्रेजात के प्रस्ताव भिजवाये गये जिनको शामिल मिसल किया गया ।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं तहसीलदार जमवारामगढ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बहस सुनने व अवलोकन करने पर हम वादी के वाद में अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है । अतः ग्राम अजबपुरा पटवार मण्डल धौला तहसील जमवारामगढ में कृषि भूमि स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 64 रकबा 1.8300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 95रकबा 0.0400, हैक्टेयर कुल रकबा 1.8700 हैक्टेयर भूमियो के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिकी पारित की जाती है तथा आगे निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिकी पारित कर बंटवारा कायम किया जाता है । उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा धोषित किया जाता है ।

विभाजन की स्थिति :– प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार

क्र. सं.	प्रस्तावित विभाजन खातेदार का विवरण मय पंता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.	किस्म	लगान
1	भोला पुत्र चीमला जाति जाट सा.देह रानि पी.एन.वी शाखा गठवाडी	64/1,	0.1200		
		64/3	0.1100		
		64/4	0.1200		
		64/6	0.2600		
		95/1	0.0133		
		कुल किता 5	कुल रकबा 0.6233		9.97

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर

2	युवराज पुत्र ग्यारसीलाल हि. 1/2, राहिन पी.एन.बी. शाखा गठवाडी मुर्तहीन , सुभाष पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1, 2 राहिन पी.एन.बी. शाख गठवाडी मुर्तहीन जाति जाट सा. देह।	64/2 64/5 64/7 95/2	0.5800 0.5200 0.1200 0.0267		
		कुल 4	कुल रकबा 1.2467	चाही 3	19.95

उपरोक्त अनुसार अंन्तिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिकी पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्ध किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एंक दूसरे के उपयोग उपभोग मे बांधा दखल नही करें । अंन्तिम पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 को खुले इजलाश में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ